

10 15 दिनांक 3.2.20 को पेश हो

रीखर

3.2
20 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपरोक्त नहीं
हैं। बार-बार आवाज डिलाई गई। कोई
बाहिर नहीं है। वादी का दावा अदम्य हाथी
है। अदम्य पैखी में खरीज किया जाता
है। पत्रावली केवल धूम्र होकर बाद
एकमील दफतर साखिल की जावे।

उपरोक्त जिला कलेक्टर
दम. न. स. (जिला-सोना)

